

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- मूर्ति ठाकुर जी जरिये सूरजसिंह

विपक्षी :- लालदास

किस्म मुकदमा :- आदेश 47 नियम 5 जा.दी.

पत्रावली संख्या :- 239/25 वाद

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/733

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 5 जा.दी. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना रूकवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है की न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की अपील माननीय अपीलीय न्यायालय में की जा चुकी है। इसलिए न्यायालय हाजा में इस प्रकरण के संबंध में सुनवाई किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 5 जा.दी. इस स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

